

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


प्रारूप न
(नियम 20 को छोड़ें राजस्थान सरकार का विनियोग नैतिक)
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक का निष्कासन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को ही मूला है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ कालम 07 में अंकित दिनांक से समाप्त की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम तथा स्थापना मग भवस्थापन स्थान सावधानि/सावातमानि	नियम	मूल्य प्रमाण पत्र सजिरद्रीकरण संख्या	जन्मतिथि	निष्कासन का दिनांक	सेवा समाप्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	लारवा राम, महात्मामांकी राजकीय (प्रभोजी मकान) विद्यालय रोमडा	इतिहास	001150050400008200004/2021	01.11.1967	24.07.2021	24.07.2021

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर मांगित के विरुद्ध आज तक:-

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचारणीय/लभित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारणीय/लभित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचारणीय /लभित नहीं है।


(सौरम स्वामी)

आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/2021
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक:- 04.8.2021

- 01 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
- 02 संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 03 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 04 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 05 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्ता
- 06 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 07 संबंधित शाला/संस्था प्रधान, को पावंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवाए।
- 08 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एवी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/शाला दर्पण/हितकारी निधि अनुभाग कार्यालय हाजा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 09 निजी / रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर